न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर लालसोट जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी :— मनमोहन मीना, आर.ए.एस.
अति0 जिला कलक्टर, लालसोट

मुकदमा नंबर :— नया नंबर 2023/32

रजु दिनांकः :— 27.09.2023

आम जनता कोलीवाडा जरियेः—

1. लाली पत्नी रामप्रकाश
2. लाली पत्नी हनुमानप्रसाद
3. सन्तरा पत्नी मुकेश

समस्त जाति सैनी निवासी ग्राम कोलीवाडा तहसील राहूवास जिला दौसा

बनाम

1. तेज्या पुत्र ग्यारसा जाति माली निवासी ग्राम हरिपुरा तह0 राहूवास जिला दौसा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राहूवास जिला दौंसा

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) आवंटन नियम 1970 विरुद्ध आवंटन दिनांक 10.06.1976 खसरा नम्बर 18 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा तन मौजा कोलीवाडा हाल तहसील राहूवास जिला दौसा

उपस्थितः— 01. अधिवक्ता प्रार्थीगण : अधिवक्ता श्री हेमराज गुर्जर
02. अप्रार्थी सं. 01 की ओर से : कोई उपस्थित नहीं

दिनांकः 15.7.24

निर्णय

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) आवंटन नियम 1970 विरुद्ध आवंटन दिनांक 10.06.1976 ख0नं0 18 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा तान मौजा कोलीवाडा हाल तह0 राहूवास इस आशय का पेश किया कि अप्रार्थी संख्या 1 के हक में दिनांक 10.06.1976 को खसरा नम्बर 18 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा ग्राम कोलीवाडा हाल तहसील राहूवास जिला दौसा का आवंटन कृषि भूमि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 के तहत हुआ था। आवंटन के समय आराजी की किस्म गै0मु0 नला दर्ज जमाबंदी संवत 2032 से

अति0 जिला कलक्टर
लालसोट (दौसा)

2035 में दर्ज रिकॉर्ड रही है। आराजी सार्वजनिक हित के अकृषि प्रयोजनार्थ भूमि रही है। आराजी का उपयोग उपभोग चरागाह पशु चरने रास्तो एवं प्राकृतिक पानी के बहाव क्षेत्र की भूमि है। आराजी आवंटन नियम 1970 के नियम 4 के तहत एवं राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 16 के तहत की भूमि है जो आवंटन योग्य कृषि भूमि नही है। आराजी की किस्म अकृषि नदी नाले की भूमि रही है।

प्रार्थीगणन के कथन है कि आवंटनशुदा भूमि का आवंटन करने से पूर्व कोई उद्घोषणा जारी नही की गयी है साथ ही पटवारी हल्का की रिपोर्ट गलत ली गयी है। खसरा नम्बर 18 के बीचोबीच 700 फीट की लंबाई का बहाव क्षेत्र है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 22 एवम गै0मु0 सडक डामर ग्राम हरिपुरा से कोलीवाडा को जाने वाली भी इसी खसरा नम्बर 18 में होकर गुजर रही है। आराजी कभी कृषि प्रयोजनार्थ नही रही है बल्कि अकृषि योग्य पशुओ को चराने, रास्ते, सडक व पानी के बहाव क्षेत्र की भूमि रही है ऐसी भूमियो का आवंटन खातेदारी राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत निषेधित है।

प्रार्थीगण ने आगे अभिवचन किए है कि आराजी ख0नं0 18 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा के आवंटन निरस्त का रेफरेन्स तत्कालीन तहसीलदार लालसोट द्वारा पटवारी, गिरदावर की जांच रिपोर्ट लेकर पूर्व न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा के समक्ष रेफरेन्स धारा 82 एल. आर.एक्ट के तहत दिनांक 10.09.2014 को आदेशित कर रेफरेन्स माननीय रेवेन्यु बोर्ड को भिजवाया गया था। माननीय रेवेन्यू बोर्ड में पत्रावली रेफरेन्स को बहुत ढूंढने पर भी प्राप्त नही हो रही है न जाने संबंधित सक्षम अधिकारी कर्मचारीगण द्वारा रेफरेन्स पत्रावली भेजी भी है या नही परंतु तहसीलदार द्वारा रेफरेन्स पत्रावली भेजने व श्रीमान ए.डी.एम. साहब दौसा द्वारा रेफरेन्स स्वीकार कर माननीय रेवेन्यु बोर्ड अजमेर को पत्रावली भेजा जाना विभिन्न पत्रांक से पाया जाता है।

प्रार्थीगण का कहना है कि सम्वत 2009 से 2022 के रेवेन्यु रिकॉर्ड में साबिक खसरा नम्बर 33, 34/2, 36/3, 36/5 तन मौजा कोलीवाडा मकबूजा ठिकाना बिला लगानी किस्म गै0मु0 नला एवम गै0 मु0 रास्ता की भूमि दर्ज रेवेन्यु रिकॉर्ड रही है। एकीकरण सम्वत 2018 की जमाबंदी में कृषि आयोग्य राजकीय भूमि नदी व नाले की कृषि भूमि दर्ज है जिसका रकबा 111} बिस्वा बंजड दोयम गै0मु0 नला 4बीघा 4 बिस्वा कुल 4 बीघा 19 बिस्वा दर्ज रिकार्ड रही है। यानि आराजी 70–80 वर्ष पुरानी गै0मु0 नला, रास्ता व नदी की भूमि सिद्ध है। ऐसी भूमियों का आवंटन हो ही नही सकता है साथ ही आवंटन विधि विरुद्ध हो जाता है तो खातेदारियां नही दी जा सकती। खातेदारी प्रारम्भतया ही शून्य व निषेधित है ऐसी खातेदारियो की भूमियो का जानबूझकर अंतरण जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र किया गया है वह भी काबिले शून्य है। अप्रार्थी द्वारा आराजी का विक्रय कर दिया जावेगा तो प्रार्थीगण अपनी आराजी खसरा नंबर 19,20,21,22 व रास्ते आबादी सडक तक आ जा ही नही सकेंगे।

प्रार्थीगण ने खसरा नंबर 18 हाल खसरा नंबर 198/18 का रहन बय अंतरण से प्रतिबंधित फरमाये जाने हेतु स्थगन प्रार्थना पत्र तथा आवंटन आदि की नकले प्राप्त होने पर प्रस्तुत किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र 14(4) के साथ प्रस्तुत करते हुए उक्त आधारो पर आवंटन दिनांक 10.06.1976 बाबत खसरा नम्बर 18 तन मौजा कोलीवाडा तह0 राहूवास जिला दौसा खारिज फरमाने का निवेदन किया है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी की गई व तहसीलदार लालसोट/राहूवास से रेफरेन्स प्रकरण सरकार बनाम तेज्या में पूर्व न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.09.2014 की पालना में की गई कार्यवाही की रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार राहूवास द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 27.07.2023 में अंकित किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि ख0नं0 18 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा ग्राम कोलीवाडा का आवंटन कृषि भूमि प्रयोजनार्थ हुआ था। उक्त आराजी ख0नं0 18 की भूमि

अति0 जिला कलक्टर
लालसोट (दौसा)

किस्म आवंटन के समय गै0मु0 नला दर्ज थी। प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नंबर 18 मौके पर नाले के रूप में मौजूद होकर रास्ते हेतु उपयोग हो रहा है जो कि मौके पर बहाव क्षेत्र व डूब क्षेत्र से संबंधित है।

अप्रार्थी सं. 01 बावजूद तामील अनुपस्थित रहे। अतः प्रार्थीगण के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। बहस में प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थना के तथ्यों को दोहराते हुए आवंटन दिनांक 10.06.1976 बाबत खसरा नम्बर 18 तन मौजा कोलीवाडा तह0 राहूवास जिला दौसा खारिज फरमाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रश्नगत भूमि आराजी ख0नं0 18 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम कोलीवाडा तहसील राहूवास के राजस्व रिकार्ड व तहसीलदार राहूवास की रिपोर्ट दिनांक 27.07.20203 का अवलोकन करने पर हम पाते है कि उक्त भूमि कृषि भूमि किस्म की नही होकर गैर मुमकिन नला भूमि के तौर पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जहॉ तक नदी, नाले की भूमि के आवंटन का प्रश्न है, इस विषय में आवंटन नियम 1970 के नियम 4 तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रावधान स्पष्टतया लागू होते है कि इस प्रकार की भूमि कृषि प्रयोजन के लिए आवंटन योग्य भूमि की श्रेणी में नही आती है। इस बाबत कानूनी प्रावधानो पर गौर किया जाये तो माननीय राज0 उच्च न्यायालय का लैण्डमार्क निर्णय अब्दुल रहमान बनाम राज0 सरकार का निर्णय स्पष्ट तथा निर्णायक व्याख्या करता है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा व्यवस्था दी है की नदी, नाले जैसी बहाव क्षेत्र की भूमि किसी भी तरह से कृषि उपयोग हेतु आवंटित नही की सकती जो कि हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतया लागू होते है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 के हक में दिनांक 10.06.1976 को खसरा नंबर 18 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा ग्राम कोलीवाडा तहसील राहूवास जिला दौसा का आवंटन निरस्त किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 15/7/24 को सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(मनमोहन मीना, आरएएस)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
लालसोट,दौसा